11/11/24

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 246/2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

....

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11.2024	तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा ग्राम **नोहरिया** तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के खसरा नम्बर 380 रकबा 2.0549 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खारड़ा में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.5137 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी नकल नक्शा, मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का मुण्डोती परिशिष्ट–ए एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार किशनगढ़ से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल रहे। तहसीलदार किशनगढ़ आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में गै0मु0 रास्ता अमल दरामद करे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल हो। Signature Not Verified Digitally signed by Nisha Saharan Date: 2024.11.25 15:44:43 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी निशा सहारण (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 256 .... सन् 2024

अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम

....

–: आदेश :–

तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू–राजस्व नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट – "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम **नोहरिया** तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 380 रकबा 2.0549 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खारडा में से रकबा 0.5137 हैक्टेयर भूमि में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ की अनुसंशा अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम **नोहरिया** तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 380 रकबा 2.0549 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खारडा में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.5137 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में गै0मु0 रास्ता के नाम से करावे।

यह आदेश आज दिनांक 11/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.11.25 15:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)